TATA POWER-DDL

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल – किरायेदार के लिए प्रीपेड कनेक्शन

प्र. 1. किरायेदार द्वारा प्रीपेड कनेक्शन लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं शुल्क क्या हैं?
उत्तर :

आवश्यक दस्तावेज	1. वैध किराया/लीज एग्रीमेंट या किराये की रसीद, जो तीन महीने से ज्यादा पुरानी नहीं हो और साथ ही पॉइंट नंबर –2 में वर्णित अंडरटेकिंग
	2. आईडी प्रूफ (पहचान का साक्ष्य)

किराया/लीज एग्रीमेंट रजिस्टर्ड या नोटरीकृत किया जा सकता है।

प्र. 2. क्या मकान मालिक से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की जरूरत है?

उत्तर : किरायेदार को स्व–हलफनामा देना होगा कि लीज एग्रीमेंट/किराये की रसीद पर डीईआरसी सप्लाई कोड 2017 के रेगुलेशन 10–3 (v व vi) के अनुसार मकान मालिक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर हैं।

प्र. 3. प्रीपेड मीटर लगाने के लिए देय शुल्क क्या हैं?

उत्तर :

देय शुल्क : **A + B**			
A	सिक्योरिटी डिपॉजिट	प्रीपेड मीटर के लिए रिफंडेबल सिक्योरिटी	3000 रुपये
B	रेगुलर कनेक्शन	सर्विस लाइन सह डेवलपमेंट चार्ज	5 किलोवाट तक : 3000 रुपये + 18% जीएसटी
			6 किलोवाट – 150 किलोवाट : 3000 रुपये + 500 प्रति kW/KVA अधिकतम 15000 रुपये + 18% जीएसटी

प्र. 4. न्यूनतम रीचार्ज वैल्यू और रीचार्ज के विभिन्न उपलब्ध विकल्प क्या हैं?

उत्तर :

मोड	रीचार्ज की वैल्यू	सोर्स
ऑनलाइन	न्यूनतम रीचार्ज विकल्प है 500 रुपये	टाटा पावर–डीडीएल की वेबसाइट, टीपीडीडीएल मोबाइल ऐप, कैश वॉलेट
ऑफलाइन	किसी भी मूल्य के रीचार्ज 100 रुपये के गुणक में किए जा सकते हैं	रीचार्ज कूपन टाटा पावर–डीडीएल कस्टमर केयर सेंटर से जेनरेट होते हैं और भुगतान कैश कलेक्शन काउंटर्स पर किए जा सकते हैं

प्र. 5. क्या प्रीपेड किरायेदार कनेक्शन के लिए ईएलसीबी इन्स्टॉल करने की जरूरत होगी?

उत्तर : हां, सप्लाई कोड 2017 के अनुसार सभी कनेक्शंस के लिए ईएलसीबी इन्स्टालेशन अनिवार्य है। ईएलसीबी उपभोक्ता द्वारा कनेक्शन के लिए आवेदन करने से पहले इन्स्टॉल करना होता है।

प्र. 6. मेरा मकान मालिक मेरी बिजली की खपत को मापने के लिए सब–मीटर का उपयोग कर रहा है, क्या मैं प्रीपेड किरायेदार का मीटर के लिए लिए आवेदन कर सकता हूं?

उत्तर : हां, अगर अलग आवास इकाई हो, तो किरायेदारर प्रीपेड टीनेंट कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकता है। (अलग आवास इकाई : कमरा, किचन और अलग प्रवेश)

प्र. 7. पहले से ही एक मीटर लगा है, मैं क्या करूं?

उत्तर : एक आवासीय इकाई में केवल एक मीटर ही लग सकता है।

प्र. 8. मेरा फ्लैट एक लिविंग रूम का है, क्या मैं मीटर लगवा सकता हूं?

उत्तर : बिजली कनेक्शन आवासीय इकाई, जैसे कमरे के साथ किचन और अलग प्रवेश द्वार को ही दिया जाता है।

प्र. 9. क्या स्वीकृत लोड की कोई अधिकतम सीमा है?

उत्तर : सप्लाई कोड 2017 के अनुसार, 45 किलोवाट तक प्रीपेड मीटर के लिए आवेदन कर सकते हैं। 45 किलोवाट से अधिक के लिए पोस्टपेड मीटर के लिए आवेदन कर सकते हैं।

प्र. 10. मेरे लीज की वैधता 45 दिनों में खत्म हो रही है, क्या उसके बाद मेरा मीटर डिस्कनेक्ट हो जाएगा?

उत्तर : सप्लाई कोड 2017 रेगुलेशन 11–4 (vi – b एवं c) के अनुसार, ''बिजली कनेक्शन बताए गए लीज एग्रीमेंट की वैधता तक या कब्जाधारक तथा ओनर के बीच आपसी सहमति से लीज की अवधि बढ़ाए जाने तक वैध रहता है।'' आपको इस बारे में अपने कस्टमर केयर सेंटर को सूचित करना होगा।

प्र. 11. किस दर पर आप मेरी शेष राशि से कटौती करेंगे?

उत्तर : प्रीपेड किरायेदार कनेक्शन के लिए निर्धारित शुल्क के अनुसार घरेलू उपभोक्ता शुल्क लागू होगा।

प्र. 12. मुझे सब्सिडी का लाभ कब मिलेगा?

उत्तर : मासिक बिल में सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।

प्र. 13. मैंने 1,000 रुपये का रीचार्ज किया है। अगर मैं 200/400 यूनिट्स के अंदर बिजली का इस्तेमाल करता हूं तो मेरी सब्सिडी की गणना कैसे की जाएगी और मेरी राशि का क्या होगा?

उत्तर : स्लैब के अनुसार लाभ की गणना मासिक बिल में की जाएगी और यदि सब्सिडी के लिए पात्र हैं, तो काटी गई राशि आपके अकाउंट में क्रेडिट के रूप में दिखाई देगी।

प्र. 14. अगर मैं अपना कनेक्शन कटवा देता हूं, तो एसएलडीसी (सर्विस लाइन सह डेवलपमेंट चार्ज) का क्या होगा?

उत्तर : एसएलडीसी (सर्विस लाइन सह डेवलपमेंट) चार्ज नॉन–रिफंडेबल है।

प्र. 15. मैं कनेक्शन के लिए आवेदन कर रहा हूं, जहां पहले के किरायेदार के पास प्रीपेड कनेक्शन था। क्या मुझे भी एसएलडी शुल्क का भुगतान करना होगा?

उत्तर : एसएलडी (सर्विस लाइन सह डेवलपमेंट चार्ज) प्रत्येक नए कनेक्शन के लिए वसूला जाता है।

प्र. 16. अगर मैं किसी दूसरी जगह पर जा रहा हूं, तो क्या मैं इस मीटर को ट्रांसफर करा सकता हूं? यदि हां, तो क्या मुझे फिर से एसएलडी का भुगतान करने की जरूरत होगी?

उत्तर : मीटर ट्रांसफर करने की अनुमति नहीं है। यह ट्रांसफर करने योग्य नहीं है।

प्र. 17. कितनी राशि शेष रहने पर आप मेरी सप्लाई डिस्कनेक्ट कर देंगे?

उत्तर : जब आपका क्रेडिट 100 रुपये से कम हो जाता है तो आपको 30 सेकंड्स का अलार्म मिलेगा। किसी भी बटन को दबाकर इसे ऑफ करें। यह अलार्म हर आधे घंटे पर बजेगा।

प्र. 18. किस समय आप मेरी सप्लाई डिस्कनेक्ट कर देंगे?

उत्तर : अगर केडिट बैलेंस 100 रुपये से कम या शून्य हो जाता है, तो आपकी आपूर्ति अगले दिन शाम 5 बजे से सुबह 10 बजे के बीच बंद नहीं होगी। रविवार को भी सप्लाई चालू रहेगी। प्रीपेड मीटर आपको आपके स्वीकृत लोड के अनुसार प्रति किलोवाट 60 रुपये का इमरजेंसी क्रेडिट प्रदान करेगा।

प्र. 19. मेरी बिल्डिंग की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है, क्या मैं प्रीपेड किरायेदार कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकता हूं?

उत्तर : डीईआरसी के पत्रांक तिथि 31.05.2019 के अनुसार बगैर स्टिल्ट पार्किंग के प्लॉट पर बिल्डिंग की ऊंचाई 15 मीटर और स्टिल्ट पार्किंग वाले प्लॉट पर 17.5 मीटर होनी चाहिए।

प्र. 20. मेरे मकान मालिक ने मेरी जगह पर मीटर लगवाया है। क्या मैं किरायेदार के तौर पर मीटर डिस्कनेक्ट करा सकता हूं और फिर प्रीपेड मीटर के लिए आवेदन कर सकता हूं?

उत्तर : नहीं। डिस्कनेक्शन का अनुरोध केवल पंजीकृत उपभोक्ता/ओनर ही कर सकता है।

प्र. 21. मैंने प्रीपेड किरायेदार मीटर लिया है, क्या मेरा मकान मालिक/ओनर आपूर्ति डिस्कनेक्ट करा सकता है?

उत्तर : डीईआरसी के सप्लाई कोड 2017 रेगुलेशन 11–4 (vi – d) के अनुसार, बिजली कनेक्शन ओनर के अनुरोध पर डिस्कनेक्ट कराया जा सकता है, हालांकि इसके लिए ओनर को कब्जाधारक (किरायेदार) और डिस्कॉम को कम से कम एक महीने का नोटिस देना होगा।